

अपील सूचना अधिकार संख्या 84/2018 (RCMS 2018/00203) श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर
01.07.2019



पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुए। बहस सुनी गई थी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी ने प्रार्थना की है कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 22.10.2018 को प्रस्तुत करके 05 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित की जावे एवं उसे वांछित बिन्दुवार सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

मैंने उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.10.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. प्रार्थी का पत्रांक दिनांक 29.07.2018 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व पत्र प्राप्ति का पत्रांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना।
3. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की प्राप्ति से इस प्रार्थना पत्र का जवाब देने तक जो जो कार्यवाही जिस जिस अधिकारी व कर्मचारी द्वारा की गई, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
4. प्रार्थी के पत्रांक में अंकित बिन्दु संख्या 1 व 2 तक के सम्बन्ध में जो जो कार्यवाही की गई है, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
5. आदर्श आचार संहिता प्रारम्भ होने पर चुनाव में कार्यरत कर्मकार या अधिकारी मुख्यालय छोड़ने की अनुमति जिस विभाग से लेने का नियम है उस नियम की व विभाग की सूचना व निर्वाचन नियमों की प्रमाणित प्रति।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ37(3)(RTI)निर्वा/2018/27156 दिनांक 19.12.2018 से इस कार्यालय को प्रति भिजवाते हुए श्री राधेश्याम गोयल को निम्नानुसार जवाब दिया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में आपका आवेदन पत्र दिनांक 22.10.2018 आईपीओ नं. 41एफ-166051 इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावना को ध्यान में रखते हुए बिन्दु संख्या 1 से 5 में आप द्वारा चाही गई सूचना का प्रत्युत्तर निम्नानुसार है :

राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस-विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदन को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात् दूसरों शब्दों में सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हों, अतः चाही गई सूचना के सम्बन्ध में उपलब्ध अभिलेखों को चिन्हित कर दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकते हैं।

यदि आप इस सूचना से असंतुष्ट हैं तो प्रथम अपीलीय अधिकारी श्रीमान् जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष 30 दिवस के भीतर अपील कर सकते हैं।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

-sd-

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं प्रश्नात्मक रूप में प्रतीत होती हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात् दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात् विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते हैं और न ही वे स्वयं का मत दे सकते हैं। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नहीं है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में उसे अपने कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख में से यदि किसी निश्चित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति चाही गई हो तो नियमानुसार अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी जावे।

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(शिवप्रसाद स. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर